न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 70/2017

गोपीराम पुत्र राउराम जाति कुम्हार निवासी बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. दयाराम पुत्र हुकमाराम जाति नायक निवासी बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर ।
2. बृजलाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी 26 एम.एल. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर । —नाम डिलीट दिनांक 28.11.2017
3. हरीराम पुत्र मोटाराम जाति मेघवाल निवासी बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर । —नाम डिलीट दिनांक 28.11.2017
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पदमपुर। ——रेस्पोंडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा.भू.अ. 1956 विरूद्ध आदेश
उपखंड अधिकारी पदमपुर दिनांक 09.05.2017

उपस्थितः—

श्री बलराम स्वामी अभिभाषक अपीलार्थी

श्री अजायबसिंह ग्रेवाल अभिभाषक रेस्पो.सं.1

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय दिनांक 18.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण गोपीराम, हरचंद व कृष्णलाल ने एक प्रार्थना पर राजस्थान उपनिवेशन सामान्य शर्तें की शर्त सं. 8(2) के तहत पेश कर चक बींझबायला के खाता संख्या 35 के मु.न. 67, खाता संख्या 92 मु.न. 68, खाता संख्या 50 मु.न. 69 यानि तीनों मु.न. 67, 68, 69 कि.न. 21 से 25 में दो दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। पत्रावली दिनांक 09.05.2017 को न्याय आपके द्वारा 2017 कैम्प बींझबायला में पेश होने पर सुनवाई

18/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को अपनी भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता उपलबध नहीं है। अधी.न्यायालय ने वैकल्पिक रास्ता अंकित किया है लेकिन कौन सा रास्ता है यह नहीं दर्शाया है। अधी.न्यायालय की पत्रावली पर जो रिपोर्ट है उनके सम्बन्ध में कोई विवेचन नहीं किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए रास्ता स्वीकृत किया जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया था अपीलांट को अपनी भूमि में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी. न्यायालय उपखंड अधिकारी पदमपुर के निर्णय दिनांक 09.05.2017 के विरूद्ध पेश हुई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट के रास्ता स्वीकृति का प्रार्थना पत्र इस आधार पर निरस्त किया है कि मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है । प्रकरण धारा 8(2) कालोनी कंडीशन का है न कि धारा 251ए आरटीए का, अतः अधी.न्यायालय का निर्णय को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी. न्यायालय में दिनांक 07.02.2003 को राजस्थान कोलोनाइजेशन (जनरल कालोनी की कंडीशन 8(2) के तहत प्रार्थना पत्र पेश होकर निर्णय दिनांक 09.05.2017 को हुआ है।

अपील मीमों की आपत्ति कि प्रकरण कालोनी कंडीशन की शर्त 8(2) का है न कि रा.का.अ. की धारा 251ए बाबत। दोनों विधियों का अवलोकन किया राजस्थान उपनिवेशन जनरल कंडीशन दिनांक 19.11.1955 से प्रभावी है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए का संशोधन दिनांक 18.01.2012 से प्रभावी है तथा प्रकरण दिनांक 07.02.2003 को दर्ज हुआ बाबत राजस्थान उपनिवेशन

18/12/17

अधिनियम 1954 की धारा 5 में यह प्रावधान है कि जहां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट तथा उपनिवेशन विभाग से Controdict नहीं करते वहां राज.काश्त.अधि. के प्रावधान लागू होगें। अतः प्रकरण दर्ज करने की तिथि को धारा 251ए के प्रावधान Book of Law पर उपलब्ध नहीं थे परन्तु प्रकरण की प्रकृति अगर निर्णय की तिथि के दिन 251ए के अनुसार हो तो इस विधि अनुसार निर्णय किया जाना प्रतिबंधित नहीं है। जैसा कि अधी.न्यायालय के निर्णय का संदर्भित अंश है कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण में पाया कि प्रार्थी की भूमि चक 43 एलएनपी के मु.न. 86 में आने–जाने के लिए चक 43 एलएनपी के मु.न. 88 के कि.न. 5, 6 में स्वीकृतशुदा रास्ता चालू है व मु.न. 88 के कि.नं. 15 व मु.न. 87 के कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 में रास्ता चालू है जो मु.न. 87 के कि.न. 1 ता 5 में स्वीकृत रास्ता तक चालू है। प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जबकि प्रार्थी ने पत्रावली में वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने का तथ्य साबित नहीं कर पाया है। प्रार्थी को दूसरी तरफ से रास्ता उपलब्ध है। उक्त प्रार्थना पत्र का कोई आधार नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

प्रकरण हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955की धारा 251ए एवं इसकी कियान्वति हेतु बने नियमों के प्रावधानुसार स्वयं उपखंड अधिकारी द्वारा मौका देखकर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होना साबित होने पर प्रा.पत्र खारिज किया है। अतः अधी. न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/12/17

(प्रेमाराम परिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर